Section 2: Definitions.

In this Act, unless the context otherwise requires, —

- (1) "Central Goods and Services Tax Act" means the Central Goods and Services Tax Act, 2017;
- (2) "central tax" means the tax levied and collected under the Central Goods and Services Tax Act;
- (3) "continuous journey" means a journey for which a single or more than one ticket or invoice is issued at the same time, either by a single supplier of service or through an agent acting on behalf of more than one supplier of service, and which involves no stopover between any of the legs of the journey for which one or more separate tickets or invoices are issued.
 - **Explanation**—For the purposes of this clause, the term "stopover" means a place where a passenger can disembark either to transfer to another conveyance or break his journey for a certain period in order to resume it at a later point of time;
- **(4)** "customs frontiers of India" means the limits of a customs area as defined in section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (5) "export of goods" with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods out of India to a place outside India;
- **(6) "export of services"** means the supply of any service when,
 - (i) the supplier of service is located in India;
 - (ii) the recipient of service is located outside India;
 - (iii) the place of supply of service is outside India;
 - (iv) the payment for such service has been received by the supplier of service in convertible foreign exchange ¹[or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India]; and
 - (v) the supplier of service and the recipient of service are not merely establishments of a distinct person in accordance with Explanation 1 in section 8:
- (7) "fixed establishment" means a place (other than the registered place of business) which is characterised by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services or to receive and use services for its own needs;
- (8) "Goods and Services Tax (Compensation to States) Act" means the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017;
- (9) "Government" means the Central Government;
- (10) "import of goods" with its grammatical variations and cognate expressions, means bringing goods into India from a place outside India;
- (11) "import of services" means the supply of any service, where
 - (i) the supplier of service is located outside India;

Inserted by IGST (Amendment) Act, 2018 (32 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 01/2019–Integrated Tax, dt. 29-01-2019.

- (ii) the recipient of service is located in India; and
- (iii) the place of supply of service is in India;
- (12) "integrated tax" means the integrated goods and services tax levied under this Act;
- (13) "intermediary" means a broker, an agent or any other person, by whatever name called, who arranges or facilitates the supply of goods or services or both, or securities, between two or more persons, but does not include a person who supplies such goods or services or both or securities on his own account;
- (14) "location of the recipient of services" means,
 - (a) where a supply is received at a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business;
 - **(b)** where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment elsewhere), the location of such fixed establishment;
 - (c) where a supply is received at more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the receipt of the supply; and
 - **(d)** in absence of such places, the location of the usual place of residence of the recipient;

(15) "location of the supplier of services" means,—

- (a) where a supply is made from a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business;
- **(b)** where a supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment elsewhere), the location of such fixed establishment;
- (c) where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the provision of the supply; and
- (d) in absence of such places, the location of the usual place of residence of the supplier;
- ²[(16) "non-taxable online recipient" means any unregistered person receiving online information and database access or retrieval services located in taxable territory.

² Sub-section (16) substituted by The Finance Act 2023, effective date yet to be notified. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;(16) "non-taxable online recipient" means any Government, local authority, governmental authority, an individual or any other person not registered and receiving online information and database access or retrieval services in relation to any purpose other than commerce, industry or any other business or profession, located in taxable territory.

Explanation–For the purposes of this clause, the expression "unregistered person" includes a person registered solely in terms of clause (vi) of section 24 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017;]

- (17) "online information and database access or retrieval services" means services whose delivery is mediated by information technology over the internet or an electronic network and the nature of which renders their supply ³[*****] essentially automated and involving minimal human intervention and impossible to ensure in the absence of information technology and includes electronic services such as,—
 - (i) advertising on the internet;
 - (ii) providing cloud services;
 - (iii) provision of e-books, movie, music, software and other intangibles through telecommunication networks or internet;
 - (iv) providing data or information, retrievable or otherwise, to any person in electronic form through a computer network;
 - (v) online supplies of digital content (movies, television shows, music and the like);
 - (vi) digital data storage; and
 - (vii) online gaming;
- (18) "output tax", in relation to a taxable person, means the integrated tax chargeable under this Act on taxable supply of goods or services or both made by him or by his agent but excludes tax payable by him on reverse charge basis;
- **(19) "Special Economic Zone"** shall have the same meaning as assigned to it in clause (*za*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);
- **(20) "Special Economic Zone developer"** shall have the same meaning as assigned to it in clause (*g*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and includes an Authority as defined in clause (*d*) and a Co-Developer as defined in clause (*f*) of section 2 of the said Act;
- **(21)** "supply" shall have the same meaning as assigned to it in section 7 of the Central Goods and Services Tax Act;

Explanation–For the purposes of this clause, the expression "governmental authority" means an authority or a board or any other body,-

- (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
- (ii) established by any Government,

with ninety per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted ^A[to a Panchayat under article 243G or] to a municipality under article 243W of the Constitution;"

- **A** Inserted by IGST (Amendment) Act, 2018 (32 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 01/2019–Integrated Tax, dt. 29-01-2019.
- 3 The words "essentially automated and involving minimal human intervention and" omitted by The Finance Act 2023, effective date yet to be notified.

- **(22)** "taxable territory" means the territory to which the provisions of this Act apply;
- (23) "zero-rated supply" shall have the meaning assigned to it in section 16;
- (24) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Central Goods and Services Tax Act, the Union Territory Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act shall have the same meaning as assigned to them in those Acts;
- (25) any reference in this Act to a law which is not in force in the State of Jammu and Kashmir, shall, in relation to that State be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that State.

धारा 2 : परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (1) "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;
- (2) "केन्द्रीय कर" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संग्रहीत कर अभिप्रेत है;
- (3) "निरंतर यात्रा" से ऐसी यात्रा अभिप्रेत है, जिसके लिए या तो सेवा के एकल पूर्तिकार द्वारा या सेवा के एक पूर्तिकार से अधिक की ओर से कार्य करने वाले किसी अभिकर्ता के माध्यम से एक ही समय एक या एक से अधिक टिकट या बीजक जारी किया गया है, और जिसमें उस यात्रा की, जिसके लिए एक या अधिक अलग टिकट या बीजक जारी किए गए हैं, किन्हीं मंजिलों के बीच कोई मध्य विश्राम अंतर्वलित नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "मध्य विश्राम" पद से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां कोई यात्री या तो दूसरे वाहन में स्थानांतरण के लिए या कतिपय अविध के लिए अपनी यात्रा को किसी पश्चात्वर्ती समय बिन्दु पर पुनः प्रारम्भ करने हेतु रूकने के लिए उत्तर सकता है:

- (4) "भारत का सीमाशुल्क सरहद" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 में यथा परिभाषित सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमाएं अभिप्रेत हैं;
- (5) "माल का निर्यात" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत से माल को भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है:
- (6) "निर्यात सेवाओं" से किसी सेवा का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जब-
 - (i) सेवा का पूर्तिकार भारत में अवस्थित है;
 - (ii) सेवा का प्राप्तिकर्ता भारत के बाहर अवस्थित है;
 - (iii) सेवा की पूर्ति का स्थान भारत के बाहर है;
 - (iv) सेवा के पूर्तिकार द्वारा ऐसी सेवा के लिए संदाय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ¹[या जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए, वहां भारतीय रुपयों में,] प्राप्त किया गया है; और
 - (v) सेवा का पूर्तिकार और सेवा का प्राप्तिकर्ता धारा 8 के स्पष्टीकरण के अनुसार मात्र किसी विशेष व्यक्ति के स्थापन नहीं है;
- (7) "स्थिर स्थापन" से ऐसा स्थान (कारबार के रिजस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) अभिप्रेत है, जिसे सेवाओं की पूर्ति के लिए या अपने स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के रूप में स्थायित्व की पर्याप्त मात्रा और उपयुक्त संरचना द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है;
- (8) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम" से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;
- (9) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

¹ एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019—एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

- (10) "माल का आयात" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में माल लाना अभिप्रेत है;
- (11) "सेवाओं का आयात" से किसी सेवा की पूर्ति अभिप्रेत है, जहां,-
 - (i) सेवा का पूर्तिकार भारत के बाहर अवस्थित है;
 - (ii) सेवा का प्राप्तिकर्ता भारत में अवस्थित है;
 - (iii) सेवा की पूर्ति का स्थान भारत में है;
- (12) "एकीकृत कर" से इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है:
- (13) "मध्यवर्ती" से कोई दलाल, कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की या प्रतिभूतियों की पूर्ति का इंतजाम करता है या उसे सुकर बनाता है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की या प्रतिभूतियों की पूर्ति अपने वास्ते करता है:
- (14) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-
 - (क) जहां कोई पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, ऐसे कारबार के स्थान का अवस्थान;
 - (ख) जहां पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र कोई स्थिर स्थापन), ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान:
 - (ग) जहां पूर्ति, एक से अधिक स्थापन पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, पूर्ति की प्राप्ति के संबंध में सर्वाधिक प्रत्यक्ष स्थापन का अवस्थान; और
 - (घ) ऐसे स्थानों के अभाव में, प्राप्तिकर्ता के निवास के मामूली स्थान का अवस्थान;
- (15) ''सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान'' से अभिप्रेत है,-
 - (क) जहां कोई पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान पर की जाती है, जिसके लिए रिजस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, ऐसे कारबार के स्थान का अवस्थान;
 - (ख) जहां पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र कोई स्थिर स्थापन), ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान;
 - (ग) जहां पूर्ति, एक से अधिक स्थापन पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, पूर्ति के प्रदान किये जाने के संबंध में सर्वाधिक प्रत्यक्ष स्थापन का अवस्थान; और
 - (घ) ऐसे स्थानों के अभाव में, पूर्तिकार के निवास के मामूली स्थान का अवस्थान;

2[(16) "गैर—कराधेय ऑनलाईन प्राप्तिकर्ता" से ऐसा कोई अरिजस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्य क्षेत्र में अवस्थित ऑनलाईन सूचना और डाटाबेस पहुँच या सुधार सेवाओं को प्राप्त करता है।

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" पद के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के खण्ड (vi) के निबंधनानुसार एक मात्र रूप से रजिस्ट्रीकृत है।

- (17) "आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं" से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनका परिदान इंटरनेट पर सूचना प्रौद्योगिकी या किसी इलेक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है और जिसकी प्रकृति उनकी पूर्ति को 3[.......] सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव में सुनिश्चित करना असंभव है तथा जिसके अन्तर्गत ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आती हैं, जैसे,—
 - (i) इंटरनेट पर विज्ञापन देना;
 - (ii) समूह सेवाएं प्रदान करना;
 - (iii) दूरसंचार नेटवर्कों या इंटरनेट के माध्यम से ई—पुस्तकें, चलचित्र, संगीत, साफ्टवेयर और अन्य अमूर्त चीजें प्रदान करना;
 - (iv) कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुधार्य या अन्यथा डाटा या सूचना प्रदान करना;
 - (v) डिजीटल अंतर्वस्तु (चलचित्र, दूरदर्शन कार्यक्रम, संगीत इत्यादि) की आनलाइन पूर्ति करना;
 - (vi) डिजीटल डाटा भंडारण; और
 - (vii) आनलाइन गेम खेलना;
- (18) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "आउट पुट कर" से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य एकीकृत कर या उसके द्वारा अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सरकारी प्राधिकरण" पद से,-

- (i) संसद् या किसी राज्य विधान—मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित; या
- (ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित, कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई भी अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिसके पास संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को ²[या अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को] सौंपे गए किसी कृत्य को कार्यान्वित करने के लिए साधारण शेयर या नियंत्रण के माध्यम से नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक की भागीदारी है;
 - A एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019—एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।
- 3 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा "आवश्यक रूप से स्वचालित कर देती है और जिसमें न्यूनतम मानव मध्यक्षेप है और जिसे" शब्द विलोपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

² वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा खण्ड (16) प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :—

[&]quot;(16) "गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता" से कोई ऐसी सरकार, ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी, सरकारी प्राधिकरण, व्यष्टि या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है और कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य कारबार या वृत्ति से भिन्न किसी प्रयोजन के संबंध में आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं को प्राप्त करता है।

कराधेय पूर्ति अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत उसके द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय कर नहीं है;

- (19) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में है;
- (20) "विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (ज) में है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई प्राधिकरण और खंड (च) में यथा परिभाषित कोई सह—विकासकर्ता भी है;
- (21) "पूर्ति" का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 में है;
- (22) "कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं;
- (23) "शून्य-दर पूर्ति" का वह अर्थ होगा जो धारा 16 में है;
- (24) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में है;
- (25) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि, जो जम्मू—कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के संबंध में उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।